न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 129/2017

विलायती सिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति जटसिख निवासी चक 28 एफ एफ. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. अंग्रेजसिंह पुत्र गजनसिंह
2. जलन्धरसिंह पुत्र दर्शनसिंह

} जाति जटसिख निवासीगण चक 28 एफएफ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 30.01.2017

उपस्थितः—

श्री मदनसिंह चारण अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अजीत कुमार अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 22.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार प्रार्थी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर चक 28 एफ एफ के मु.न. 6 के कि.न. 1/1 की 0.101 है0 भूमि के रेकार्ड की स्थिति यथावत रखने एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने का वाद के निर्णय तक जारी करने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी सं0 2 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विवादित भूमि उसके द्वारा जरिये बैयनामा कय की है एवं उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं अप्रार्थी सं.1 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी सं01 ने उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी सं .2 को कर दिया एवं कब्जा सौंप दिया है। प्रार्थी

22/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

का कब्जा नहीं है। प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 30.01.2017 को प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का पिछले 40 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। बैयनामा के आधार पर रेस्पा. अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते है । हर प्रकार से मामला अपीलांट के पक्ष में था फिर भी अधी. न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है ।अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरेाते हए कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं.1 ने जरिये बैयनामा कय की है अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था अधी. न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की हैं । अपीलांट के वकील अधी.न्यायालय में उपस्थित थे आदेश पक्षकारों को सुनकर पारित किया है फिर भी अपील मियाद बाहर पेश की है। अतः मियाद एवं गुणावगुण दोनों के आधार पर खारिज योग्य होने से खारिज की जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 30.01.2017 के विरूद्ध दिनांक 01.09.2017 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

22/12/17

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 30.01.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट के रिहायशी नोहरे व ढ़ाणी से बेदखल न करने की इस्तदुआ अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. खारिज की है जबकि वह पिछले 40 वर्षो से विवादित आराजी पर काबिज है अतः अधी.न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का अनतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजी तहसील रायसिंहनगर के चक 28 एफ एफ के मु.न. 6 के कि.न. 1/1 की 0.101 है0 रेस्पो संख्या 1 अंग्रेजसिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसके सम्बन्ध में अपीलांट/ वादी विलायतीसिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के बिन्दु संख्या 4 में अंकित किया है कि विवादित भूमि वाकें चक 28 एफएफ के मु.न. 6 के कि.न. 1/1 की 0.101 है. भूमि में 82.5 X 66 नाम में मुझ प्रार्थी का रिहायशी नोहरा बना हुआ है जिसमें प्रार्थी के कृषि उपकरण व खाद इत्यादि डाली हुई है तथा उक्त 0. 101 है. भूमि मुझ प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के कब्जा काश्त व रिहायशी नोहरा ढाणी के रूप में दिनांक 01.07.1975 से रही है । अर्थात पिछले 40 वर्षो से विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जा प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का रहाहै। रिहायशी नोहरा ढाणी के कब्जा बाबत प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत संलग्न है।

रेस्पो.1 द्वारा न तो अधी.न्यायालय में उपस्थित होकर कथन का इन्कार नही किया न ही अपील में cross objection में यह denial किया कि विवादित आराजी 605 वर्गगज है जिस पर अपीलांट ने रहवासी ढाणी व नोहरा बना रखा है, में अधी. न्यायालय ने रेस्पो. खातेदार होने से अपीलांट को बेदखल न करने के लिए पाबन्द नहीं किया हैं। रा.का.अ. की धारा 212 में विभिन्न न्याय सिद्धान्तों में दोनों ही View लिये गये है यथा आरआरडी 1997 पेज 591 जगदीश लाल बनाम परमेश्वरलाल में यह held किया है कि ordinarily an injuction can not be granted against a recorded khatedar वहीं न्याय सिद्धान्त आरआरडी 2006 पेज 761 जीवाराम बनाम रूकमा में held किया हैं कि temperory injuction can be granted against khatedar tenant अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने या न करने के लिए खातेदार होना या न होना Thumb Rule नहीं हो सकता । परन्तु इस

22/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विधि का स्थापित Thumb Rule है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति का विवेचन आज्ञापक है जो अपीलाधीन आदेश में अधी. न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जो निर्णय का नुक्स माना जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधी. न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाता है एवं वाद के निर्णय तक विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर